

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश-क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4494-H M F A MEMORIAL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, KARARI BHADLI, HANDIA, ALLAHABAD

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	45	45
2	MECHANICAL ENGINEERING	45	45

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

Director
HMFA Memorial Institute
of Engg. & Tech.
Handia Prayagraj

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

- कार्यालय आश-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्गों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-02 में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके भाग के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई० /द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4494	एच०एम०एफ०ए० मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, करारी, मदेती, हाथिया, इलाहाबाद।	सिविल इंजी० मैकेनिकल इंजी० प्रोग	60 60	60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी

Director
HMFA Memorial Institute
of Engg. & Tech.
Handia Prayagraj

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या: प्रावि/परिषद/सम्बन्ध/2019/1132

लक्षित दिनांक: 16.5.2019

कार्यालय आव-

अधिकांश सरकारी तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सत्र 2019-20 का निम्न विषयों पर सत्र 2019-20 का अनुसूची प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सत्र 2019-20 का अनुसूची प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14.5.2019 को प्रेषित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना पर परिषद कार्यालय में प्रेषित सम्बन्ध है। किन्तु सत्र 2019-20 का अनुसूची प्रदान करने के सम्बन्ध में परिषद कार्यालय में प्रेषित सम्बन्ध का सम्बन्धित विस्तार/सहायक/प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बन्ध प्रदान किया जा रहा है। किन्तु सत्र 2019-20 का अनुसूची प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

परिषद से पूर्व से सम्बन्ध ऐसी निम्न विषयों में स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएँ जिन्होंने सत्र 2019-20 से संस्था में संचालित कतिपय पाठ्यक्रमों में कमी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश योग्यता के अनुसार ही सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बन्ध प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त निर्णय को परिषद द्वारा सत्र 2019-20 के सम्बन्ध में संचालित कतिपय पाठ्यक्रमों में कमी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश योग्यता के अनुसार ही सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बन्ध प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

क्र.सं.	प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार	संबन्धित विस्तार/सहायक/प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार	परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार	संख्या
1	प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार	संबन्धित विस्तार/सहायक/प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार	परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार	1

सम्बन्धित हेतु जारी

उपरोक्त निर्णय को परिषद द्वारा सत्र 2019-20 के सम्बन्ध में संचालित कतिपय पाठ्यक्रमों में कमी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश योग्यता के अनुसार ही सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बन्ध प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

Director
HMFA Memorial Institute
of Engrg. & Tech.
Handia Prayagraj

- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षाओं को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विवरण उक्त कक्षा की स्थिति में उभार प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रदेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त परीक्षा पर निर्णय शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को परभाई/मैट्रिक/सीईईओ से आगामी तक हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उभार प्रदेश शासन द्वारा कक्षाएं तथा विधि/विध्या/अभियान्त्रिक/शासनादेशों/निर्देशों एवं निरीक्षण/अभियान्त्रिक शिक्षा/सीईईओ/अनुमति/नवीन परीक्षा परिषद/उपरोक्त एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद/उपरोक्त द्वारा कक्षाएं तथा विध्या/अभियान्त्रिक/निर्देशों का पालन कक्षाओं की शिक्षा संभव होगी।
- ✓ विद्यार्थी एवं अध्यापक/अध्यापिका/विशेष शिक्षक/सीईईओ एवं दिल्ली में अनुमति प्राप्त कक्षाएं अलग से अलगपत्र जारी है तो इन संस्था में कक्षाएं/अभियान्त्रिक/उभार का शासन की विधिक रूप में दिल्ली में कार्यवाही की जाएगी। संस्था को कक्षाएं/अभियान्त्रिक/उभार का शासन की विधिक रूप में दिल्ली में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ विद्यार्थी एवं अध्यापक/अध्यापिका/विशेष शिक्षक/सीईईओ एवं दिल्ली में अनुमति प्राप्त कक्षाएं अलग से अलगपत्र जारी है तो इन संस्था में कक्षाएं/अभियान्त्रिक/उभार का शासन की विधिक रूप में दिल्ली में कार्यवाही की जाएगी। संस्था को कक्षाएं/अभियान्त्रिक/उभार का शासन की विधिक रूप में दिल्ली में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ विद्यार्थी एवं अध्यापक/अध्यापिका/विशेष शिक्षक/सीईईओ एवं दिल्ली में अनुमति प्राप्त कक्षाएं अलग से अलगपत्र जारी है तो इन संस्था में कक्षाएं/अभियान्त्रिक/उभार का शासन की विधिक रूप में दिल्ली में कार्यवाही की जाएगी। संस्था को कक्षाएं/अभियान्त्रिक/उभार का शासन की विधिक रूप में दिल्ली में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था उभार प्रदेश शासन द्वारा कक्षाएं तथा विधि/विध्या/अभियान्त्रिक/शासनादेशों/निर्देशों एवं निरीक्षण/अभियान्त्रिक शिक्षा/सीईईओ/अनुमति/नवीन परीक्षा परिषद/उपरोक्त एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद/उपरोक्त द्वारा कक्षाएं तथा विध्या/अभियान्त्रिक/निर्देशों का पालन कक्षाओं की शिक्षा संभव होगी।
- ✓ संस्था उभार प्रदेश शासन द्वारा कक्षाएं तथा विधि/विध्या/अभियान्त्रिक/शासनादेशों/निर्देशों एवं निरीक्षण/अभियान्त्रिक शिक्षा/सीईईओ/अनुमति/नवीन परीक्षा परिषद/उपरोक्त एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद/उपरोक्त द्वारा कक्षाएं तथा विध्या/अभियान्त्रिक/निर्देशों का पालन कक्षाओं की शिक्षा संभव होगी।
- ✓ संस्था उभार प्रदेश शासन द्वारा कक्षाएं तथा विधि/विध्या/अभियान्त्रिक/शासनादेशों/निर्देशों एवं निरीक्षण/अभियान्त्रिक शिक्षा/सीईईओ/अनुमति/नवीन परीक्षा परिषद/उपरोक्त एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद/उपरोक्त द्वारा कक्षाएं तथा विध्या/अभियान्त्रिक/निर्देशों का पालन कक्षाओं की शिक्षा संभव होगी।
- ✓ संस्था उभार प्रदेश शासन द्वारा कक्षाएं तथा विधि/विध्या/अभियान्त्रिक/शासनादेशों/निर्देशों एवं निरीक्षण/अभियान्त्रिक शिक्षा/सीईईओ/अनुमति/नवीन परीक्षा परिषद/उपरोक्त एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद/उपरोक्त द्वारा कक्षाएं तथा विध्या/अभियान्त्रिक/निर्देशों का पालन कक्षाओं की शिक्षा संभव होगी।
- ✓ संस्था उभार प्रदेश शासन द्वारा कक्षाएं तथा विधि/विध्या/अभियान्त्रिक/शासनादेशों/निर्देशों एवं निरीक्षण/अभियान्त्रिक शिक्षा/सीईईओ/अनुमति/नवीन परीक्षा परिषद/उपरोक्त एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद/उपरोक्त द्वारा कक्षाएं तथा विध्या/अभियान्त्रिक/निर्देशों का पालन कक्षाओं की शिक्षा संभव होगी।

संजीव कुमार सिंह
सचिव

पुनसं- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2019/1153-2252

तार दिनांक 13-5-2019

प्रतिलिपि- प्रशासनाचार्य/निदेशक एचएम/एचएमओ/एमआर/उपस्थापक/एसीटीएच/अध्यक्ष इजी, एक टेकनालोजी, कारगिरी, भद्रपुर, हरियाणा इनाहावाय-221503

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

Director
TCS Group of Institutions
at TCS Group of Institutions
TCS Group of Institutions